



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

ई निविदा सूचना संख्या : 10/2025-26.

ई-निविदा सूचना

दिनांक : 31/10/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु आगरा विकास प्राधिकरण में पात्र श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से एवं नियम व शर्तों के क्रम संख्या-5 के अनुसार पात्र श्रेणी के ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.व्यू घनराशि (रु. लाख में)	घरों/घर घनराशि (रु. में)	निविदा मूल्य (रु. में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	निविदा का प्रकार	अभियन्ता एजेंसी
1.	आगरा इनर रिंग रोड (पश्चिम चरण) सहनकला रिश्त टोल प्लाजा पर बायीं तथा दायीं साइड पर एक-एक टॉयलेट ब्लॉक बनाने का कार्य।	66.90	1,33,800/-	1770/-	06 माह	सी	दू. बिड	इनर रिंग रोड
2.	आगरा इनर रिंग रोड पश्चिम चरण एवं द्वितीय चरण की सर्विस रोड पर गड़दे पुरित एवं रोड सुदृढीकरण का कार्य।	68.59	1,37,200/-	1770/-	01 वर्ष	सी	दू. बिड	इनर रिंग रोड
3.	कालिन्दी विहार योजना के सैक्टर-ए में आर.सी.सी. नाली, आन्तरिक सड़क एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (पार्ट-ए)	408.12	8,17,000/-	5900/-	01 वर्ष	ए	दू. बिड	05
4.	कालिन्दी विहार योजना के सैक्टर-बी में आर.सी.सी. नाली, आन्तरिक सड़क एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (पार्ट-बी)	372.52	7,46,000/-	5900/-	01 वर्ष	ए	दू. बिड	05
5.	कालिन्दी विहार योजना के सैक्टर-सी में आर.सी.सी. नाली, आन्तरिक सड़क एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (पार्ट-सी)	315.21	6,31,000/-	5900/-	01 वर्ष	ए	दू. बिड	05
6.	कालिन्दी विहार योजना के सैक्टर-ई एवं एच में आर.सी.सी. नाली, आन्तरिक सड़क एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य। (पार्ट-डी)	250.10	5,01,000/-	5900/-	01 वर्ष	ए	दू. बिड	05
7.	कालिन्दी विहार योजना के सैक्टर-ए, बी, सी, ई व एच में प्रकाश व्यवस्था का कार्य। (पार्ट-ई)	164.95	3,30,000/-	2950/-	01 वर्ष	बी	दू. बिड	वि०/या०

- क्र.सं. 01 व 02 पर अंकित कार्यों की अति अल्पकालीन ई-निविदाओं दिनांक 10.11.2025 को आमंत्रित है, जो उसी दिवस अपराह्न 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.11.2025 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 10.11.2025 के अपराह्न 01:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.mh.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- क्र.सं. 03 से 07 तक अंकित कार्यों की ई-निविदाएं दिनांक 25.11.2025 को आमंत्रित है, जो उसी दिवस अपराह्न 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.11.2025 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 25.11.2025 के अपराह्न 01:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.mh.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं निर्धारित घरों/घर घनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से नियत तिथि व समय से पूर्व खाता संख्या-628/01024409, IFSC Code-ICIC0001050 ICICI Bank Ltd, 5, Saket Colony, Shahganj, Nh11, Agra-282010 में जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसके यूपी.आर. नंबर का विवरण निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता कार्य स्थल निरीक्षण कर सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन एवं समस्त शर्तों का समीक्षा सम्बन्धित अभिशारी अभियन्ता से अवश्य कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा, साथ ही शर्तों निविदा मान्य नहीं होगी।
- बी.ओ.व्यू लागत रु. 2.00 करोड़ तक के कार्यों हेतु केवल प्राधिकरण में पंजीकृत फर्म द्वारा ही निविदा में माग लिया जायेगा। बी.ओ.व्यू लागत रु. 2.00 करोड़ से ऊपर एवं विशिष्ट कार्यों हेतु सम्बन्धित अनुभवी फर्म जो शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत है, निविदा में माग ले सकती है। फर्म द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, किन्तु शर्त यह होगी कि चयनित निविदादाता को आगरा विकास प्राधिकरण में सम्बन्धित श्रेणी में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-692/23-07-2024, दिनांक 09 अगस्त, 2024 में निर्धारित अतिरिक्त परफॉरमेंस बैंक गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
- निविदादाता को नियमानुसार आयकर विभाग, श्रम विभाग, जी.एस.टी. विभाग एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ०प्र. पॉवर कॉन्फोरमिशन लिमिटेड/टोरेण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ०प्र. लोक निर्माण विभाग एवं आगरा विकास प्राधिकरण की विशिष्टियों के अनुरूप करायें जाने होंगे।
- जिन कार्यों की ई-निविदाओं डबल बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित है, उनकी तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही द्वितीय बिड खोली जाएगी।
- निविदादाता द्वारा फर्म का बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम व आई.एफ.एस.सी. कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, जिससे असफल निविदादाताओं की जमा घरों/घर घनराशि फर्म के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा सके।
- निविदादाता द्वारा निविदा के साथ रु. 100/- का ई-स्टाम्प पेपर नोटरी सहित अपलोड करना होगा।
- निविदादाता कंपनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया में मागीदार अन्य किसी फर्म या कंपनी में न'तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई भी निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।
- दू. बिड पद्धति पर आमंत्रित निविदाओं के कार्यों में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
- यदि कोई ठेकेदार/एजेन्सी किसी भी विभाग में विगत 05 वर्षों में काली सूची में दर्ज अथवा निविदाओं में प्रतिभाग से हिनार की गयी हो, उसके द्वारा प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा, निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा।
- लॉट गिवस प्लान्ट के कार्यों में लॉट गिवस स्वामी/अनुबन्ध के आधार पर ही निविदादाता निविदा में माग ले सकता है, निविदा में Lessor एवं Lessee में से एक पक्ष द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा। लीज की अवधि/कार्य अन्य को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यह प्रावधान रु. 200.00 लाख तक की लागत की निविदाओं पर ही लागू होंगे। उपरोक्त से अधिक के कार्य पर स्वाधिन होना अनिवार्य है।
- ई निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्णायक रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी मा० न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

पत्रांक : 46/सी/सी.ई/2025-26, दिनांक : 31/10/2025

प्रतिनिधि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- समय महोदय को सूचनाार्थ।
- वित्त नियन्त्रक को सूचनाार्थ।
- प्रभासी आई.टी.सेल को प्राधिकरण वेबसाइट एवं ई-टेंडरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- सम्बन्धित अभिशारी अभियन्ता को कार्य की बी.ओ.व्यू एवं अन्य प्रपत्र सत्यान्वित ई-टेंडरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- नोटिस बॉर्ड।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता

